फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गुलाब सिंह बनाम विरेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 55 / 17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.17	अभिभाषक अपीलांट श्री हरीश मदान उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम चरखड़ा के खेत खसरा नम्बर 2515/2400 की 3.1371 हेक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 1 की व इसी प्रकार ग्राम चरखड़ा के खेत खसरा नम्बर 2400/977 मिन की 0.1265 हेक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 2 की बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में कटाण का कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि में एक किलोमीटर दूर एक कटाणी रास्ता स्वीकृत एवं चालू है तथा इसी रास्ते के पास चल रही रेल्वे लाईन के नीचे हाल ही में एक 4 बाई 4 मीटर का आरयूबी बनाने के लिए जिला कलेक्टर, बीकानेर ने रेल्वे विभग को अनुमति जारी की है। रेस्पोडेन्ट उक्त आरयूबी का स्थान बदलकर प्रार्थीगण के खेत में से नया कटाणी रास्ता कायम करवाकर इस स्थान पर बिना क्षेत्राधिकार के एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आयूबी स्वीकृत करवाने का प्रयास कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण की खड़ी फसल की सुरक्षा करने में असुविधा हो रही है। दौराने अपील कटाणी रास्ता निकाल दिया गया तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। 1. हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर दिनांक 12–09–17 को एकतरफा आदेश इस आश्य का जारी किया कि वादगत्	

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

आराजी वाके रोही चरकड़ा के **खेत खसरा नम्बर 2515/2400 की 3.1371 हेक्टर भूमि व खसरा नम्बर 2400/977 मिन की 0.1265 हेक्टर** भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे व अप्रार्थीगण को उजर एतराज के लिए दिनांक 27–10–17 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–09–17 को पारित अपीलाधीन आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 27–10–17 निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश से कोई आपत्ति है तो निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

3. अतः उक्त विवचेना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।